अग्निपथ योजना में युवकों को सेना में चार साल के लिये काम करने को मिलेगा : भिंडर

जयपुर में सप्त शक्ति छावनी क्षेत्र में भारत सरकार की ''अग्निपथ'' योजना के बारे में लैफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने मीडिया को जानकारी दी।

- 'चुने गये युवाओं को अग्निवीरों के नाम से जाना जायेगा, इन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जायेगा'
- 'चार साल पूरा होने पर 75 प्रतिशत अग्निवीरों को रिटायर किया जायेगा'

जयपुर, (का.सं.)। भारत सरकार ने ''अग्निपथ'' योजना की घोषणा की है। इस योजना में देश के युवक सेना में चार साल के लिए काम कर सकेंगे। इस योजना के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए सप्त शक्ति छावनी क्षेत्र व सेना अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लैफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने इस योजना के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि, ''अग्निपथ'' के अधीन देशभक्ति से ओत प्रोत युवा चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त बलों में सेवा कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को ''अग्निवीरों'' के नाम से जाना जाएगा।

''अग्निवीरों'' को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जिसके तहत उन्हें चार साल खत्म होने पर 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। ''सेवा निधि'' को आयकर से छूट दी जाएगी। चार साल पूरे होने पर 75 प्रतिशत ''अग्निवीरों'' को रिटायर किया जाएगा। लै.जनरल भिन्डर ने आगे बताया कि, सशस्त्र बलों नियुक्ति नीति में यह एक परिवर्तनकारी सुधार है और साथ ही अग्निवीरों के लिए एक आकर्षक वित्तीय पैकेज मिलेगा। समाज में लौटने वालों के लिए पुन: रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे। यह परिकल्पना की गई है कि, इस योजना के क्रियान्वन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु को 32 वर्ष है, घटकर 25 वर्ष हो जाएगी।

समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की अवधि 30 जून तक बढ़ी

जयपुर। राज्य के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त कालूराम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में आरएमएस 2022-23 के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीद की अवधि 10 जून से बढ़ाकर 30 जून निर्धारित की गयी है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के जिला कलक्टरों एवं राजफैड, तिलम संघ तथा भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिये हैं कि गेहूं की खरीद केवल वास्तविक किसानों से ही की जाये और पुनर्चक्रण से बचने के लिए सभी प्रयास किये जाये।

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 30 जून तक पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र एवं परिजनों के साथ ब्रह्मपुरी के नहर के गणेशजी मंदिर में दर्शन किए।

'परीक्षार्थियों को क्यों नहीं किया जा रहा शामिल'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक से पूछा है कि जब रेगुलेशन में कहीं भी अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने के अधिकतम प्रयासों का जिक्र नहीं है तो याचिकाकर्ताओं को डीएमएलटी की पूरक परीक्षा में शामिल होने से क्यों रोका जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पूरक परीक्षा में शामिल करने को कहा है।

जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रामनिवास पांडेय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रदेश के 17 जिलों में 77 नए करोना संक्रमित मिले

- राज्य में 92 मरीज कोविड से रिकवर हुए, 581 एक्टिव केस शेष

जयपुर (कासं)। प्रदेश के 17 जिलों में बुधवार को 77 नए करोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 92 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। ऐसे में फिलहाल 581 एक्टिव केस शेष है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 रोगी जयपुर जिले में मिले है। इसके अलावा अजमेर में 8, बीकानेर और दौसा में 6-6, नागौर में 5, चूरू और जोधपुर में 4-4, उदयपुर में 3, टोंक और सीकर में 2-2 तथा अजमेर, चित्तौडगढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़, जालौर, कोटा और राजसमंद में एक-एक नया संक्रमित मिला है।

जयपुर में मिले 30 नए मरीजों के साथ यहां 47 संक्रमित रिकवर भी हुए है। अब यहां 306 एक्टिव केस रह गए है। बुधवार को यहां 12 स्थानों पर नए मामले मिले। इनमें मालवीय नगर में 8, विद्याधर नगर में 4, सांगानेर में 3, बनीपार्क, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, मानसरोवर, सोडाला, श्याम नगर में 2-2 तथा टोंक फाटक, जवाहर नगर और बापू नगर में एक-एक संक्रमित मिला है।

'कॉलेज शिक्षा के डॉ. बनयसिंह एवं डॉ. रघुराज परिहार के खिलाफ धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज'

राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ रूक्टा के प्रांतीय संयुक्त सचिव रमेश बैरवा ने कहा, ''दोनों ने कॉलेज शिक्षकों को फिर किया शर्मसार''

- 'मामला जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाने में 13 जून को दर्ज कराया गया है'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रूक्टा के प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉ.रमेश बैरवा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अनाधिकृत रूप से रूक्टा महामंत्री एवं अध्यक्ष बने डॉ.बनयसिंह एवं डॉ.रघुराज परिहार के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना एवं आपराधिक साजिश की आईपीसी की 420,467,468,471 एवं 120 बी की संगीन धाराओं में एफ आई आर दर्ज हो गई है। यह मुकदमा रूक्टा की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राजस्थान विश्वविद्यालय स्थित रूक्टा के केंद्रीय कार्यालय देराश्री शिक्षक सदन के प्रभारी डॉ.रामनारायण मीणा द्वारा कोर्ट में पेश परिवाद पर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम दो जयपुर महानगर के आदेश पर 13 जून को जयपुर के गांधीनगर पुलिस थाना में दर्ज किया गया है।

डॉ.बैरवा ने उम्मीद जताई है कि इस एफ आई आर में ठीक से अनुसंधान किए जाने पर अनाधिकृत तौर पर रूक्टा के पदाधिकारी बने डॉ. बनयसिंह एवं डॉ.रघुराज परिहार सहित अन्य लोगों की काली करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा और रूक्टा एक बार फिर शिक्षक और विद्यार्थी हित में मजबूती से काम करेगा। डॉ.बैरवा ने कहा है कि इस एफआईआर ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि डॉ.बनयसिंह एवं उसके समर्थक फर्जी हैं। डॉ रमेश बैरवा ने कहा है कि वे वर्ष 2020 से ही डॉ.बनयसिंह एवं उसके समर्थकों के फर्जीवाड़े एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। राजस्थान सरकार के एक मंत्री के साथ में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में बैठकर पद का लगातार दुरुपयोग करने वाले डॉ. बनयसिंह, डॉ.सुभाष यादव के साथ मिलकर शिक्षकों को प्रताड़ित करवाते रहे हैं। डॉ.रमेश बैरवा को रूक्टा प्रांतीय संयुक्त सचिव पद से निलंबित करवाने में भी डॉ.बनयसिंह की अहम भूमिका थी।

उल्लेख है कि आरोपित डॉ.बनयसिंह को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य समन्वयक पद से हटाकर राजकीय महाविद्यालय जयपुर में लगा दिया था। डॉ.रघुराज परिहार राजकीय विज्ञान महाविद्यालय कोटा में सह आचार्य एवं कोटा में कॉलेज शिक्षा सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। डॉ. बनयसिंह को तो रीट धांधली में संलिप्तता के आरोपों के कारण रूक्टा के संगठन मंत्री पद से निलंबित कर दिया गया था।

खोया पाया

विनोद कुमार सिंघल पुत्र वासुदेव लाल सिंघल प्लॉट नं. ई-378 कल्पना नगर योजना जयपुर का जेडीए का अलोटमेंट लेटर कही गिर गया है मिलने पर सूचित करें। मो. 9461193099

कार्यालय ग्राम पंचायत विधानी पंचायत समिति सांगानेर जयपुर

क्रमांक/ ग्रा.पं./268 निविदा सूचना संख्या 1-2/2022-23 दिनांक:- 11.02.22

ग्राम पंचायत विधानी में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज तथा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत इच्छुक वाणिज्य कर विभाग में जी एस टी पंजीकृत फर्मो/ संवेदको से निर्माण सामग्री आपूर्ती एवं हैण्डपंप/ सिंगल पोईंट निर्माण का दर अनुबंध पंचायतवार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई प्रोक्योरमेंट प्रकिया से वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 27.06.2022 समय सांय 5 बजे तक ऑनलाइन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड/ अपलोड की जा सकती है।

सामग्री आपूर्ती NIB No PEN2223A0004 UIN NO PEZ2223GS0B0005

हैंडपंप/ सिंगल पॉईंट NIB NO PEZ2223A0005 UBN NO PEZ2023GS0B00005

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विधानी — सरपंच ग्राम पंचायत सरपंच

राजनीति शब्दों को भ्रष्ट करती है : कल्पित

राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर और समान्तर के संयुक्त तत्वावधान में युवा कथाकार नितिन यादव की कहानी संग्रह ''ऑक्सीयाना और अन्य कहानियां'' का लोकार्पण किया गया।

- युवा कथाकार नितिन यादव के कथा संग्रह 'ऑक्सीयाना और अन्य कहानियां' का लोकार्पण

जयपुर। राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर और समान्तर के संयुक्त तत्वावधान में युवा कथाकार नितिन यादव की न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन, दिल्ली द्वारा सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह 'ऑक्सीयाना और अन्य कहानियां' का लोकार्पण और उस पर चर्चा का अकादमी के सभागार में आयोजन किया गया।

राजस्थान लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और उपन्यासकार डॉ. आर. डी. सैनी की अध्यक्षता और सुपरिचित कवि और वरिष्ठ लेखक कृष्ण कल्पित के मुख्य आतिथ्य में समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित आलोचक डॉ.दुर्गाप्रसाद अग्रवाल मुख्य वक्ता, वरिष्ठ कवि व्यंग्यकार फारूक आफरीदी विशिष्ट अतिथि और अकादमी के निदेशक डॉ. बीएल. सैनी स्वागताध्यक्ष के तौर पर मौजूद रहे। हिन्दी साहित्य के आलोचक और समांतर से संबद्ध डॉ.राजाराम भादू के सान्निध्य में शिवानी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित साहित्यकार कृष्ण कल्पित ने कहा कि संग्रह में नए जमाने के यथार्थ की कहानियां हैं। इनकी कहानियों में नया जमाना, नई तकनीक, नई तरह की राजनीति, नई तरह की युवाओं में हिंसा, नए औजारों और नए गांवों का जिक्र हुआ है।

कल्पित ने कहाकि राजनीति ने छवि शब्द को छिछला कर दिया है। राजनीति शब्दों को भ्रष्ट करती है। इसका संकेत इनकी कहानियों में है। इन कहानियों का एक गहरा राजनीतिक मंतव्य है। इनकी कहानियां भविष्य के खतरों और आहट को भांपकर उनकी तरफ इशारा करती है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार उपन्यासकार डॉ आर.डी. सैनी ने कहा कि लेखन में कथानक और कहन का तरीका नया होना तभी पाठक को प्रभावित करेगा। नितिन की कहानियां विचारोत्तेजक है और सोचने को विवश करती है।

विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ कवि एवं व्यंग्यकार फारूक आफरीदी ने कहा कि राजस्थान में कथा लेखन की एक सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। नए लेखकों को इसे आगे बढाने और समाज को जागरूक करने तथा लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरों से आगाह करने का काम करना होगा। नए लेखकों को आधुनिक युग बोध का रचना कर्म करना होगा।

प्रसिद्ध आलोचक डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने संग्रह की समीक्षा करते हुए कहा कि नितिन की कहानियां आधुनिक युग बोध की कहानियां है। ये कहानियां सचेत और जागरूक नागरिक बनाने का का काम करती हैं।

इस अवसर पर जयपुर और प्रदेश के प्रतिष्ठत लेखक, कवि, कथाकार, चित्रकार, रंगकर्मी, फिल्मकार, पत्रकार मौजूद थे जिनमें युवाओं की संख्या सर्वाधिक थी। उपस्थित प्रबुद्धजनों में विनोद भारद्वाज, चरण सिंह पथिक, गजेन्द्र एस श्रोत्रिय, राघवेन्द्र रावत, प्रभात, प्रेमचंद गाँधी, भागचंद गुर्जर, उदयवीर सिंह यादव, महेश कुमार, महेश स्वामी, राकेश कुमार रायपुरिया, रमेश शर्मा, रघुवीर पूनिया प्रमुख थे।

सुनवाई के लिए न्यायालय अधिकृत

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के अधीन दण्डनीय अपराधों की सुनवाई के लिए न्यायालयों को अधिकृत किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति प्रतापगढ़ को दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए संबंधित न्याय क्षेत्र की क्षेत्रिय सीमाओं में अधिकारिता वाले न्यायालय अधिकृत किए गए है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

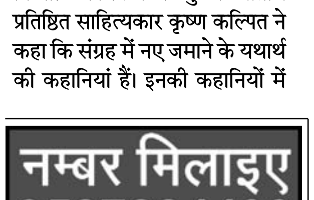

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

फौजदारी प्रकरणों की सुनवाई के लिये अधिवक्ता नियुक्त

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष राज्य की ओर फौजदारी प्रकरणों की पैरवी करने के लिये अतिरिक्त राजकीय महाअधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक तथा राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष राज्य की ओर से फौजदारी प्रकरणों में पैरवी के लिए उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए है।

प्रमुख शासन सचिव विधि प्रवीर भटनागर की ओर से जारी आदेशानुसार राजस्थान उच्च न्यायलय जोधपुर के समक्ष राज्य की ओर से फौजदारी प्रकरणों की पैरवी के लिये सलीम खान मेहर व अभिषेक पुरोहित को अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। मेहर एवं पुरोहित की नियुक्ति मासिक रिटेनरशिप पर की गई है तथा इनका मुख्यालय जोधपुर रहेगा।

इसी तरह एक अन्य आदेश जारी कर महेन्द्र मीना अभिभाषक को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से फौजदारी प्रकरणों की पैरवी करने के लिये अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। मीना की नियुक्ति मासिक रिटेनरशिप पर की गई है तथा इनका मुख्यालय जयपुर होगा।

इस संबंध में जारी एक अन्य आदेश के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायलय जयुपर पीठ, जयपुर के समक्ष राजस्थान राज्य की ओर से फौजदारी प्रकरणों की पैरवी के लिए बाबूलाल नासुना एवं सुरेश कुमार को उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक के पद पर मासिक रिटेनरशिप पर अग्रिम आदेश तक नियुक्त किया गया। इनका मुख्यालय भी जयपुर रहेगा।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 112/22

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

नाम प्रार्थी किरण मीणा पत्नि रामकिशोर जाति मीणा विवाद स्थान नांगल बोरा ढ़ाणी बंगरवाली पड़ासोली तह. बस्सी जिला जयपुर हाल प्लाट नं. 51 सूरज नगर वैथजी का चौराहा, झोटवाडा जयपुर

मृतक रामकिशोर मीणा पुत्र रामजीलाल मीणा की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 11.07.22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम रामकिशोर मीणा पुत्र रामजीलाल मीणा जाति मीणा निवासी नांगल बोरा ढ़ाणी बंगरवाली पड़ासोली तह. बस्सी हाल प्लाट नं. 51 सूरज नगर वैथजी का चौराहा, झोटवाडा जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 11 माह 07 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 17 माह 05 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-द्वितीय

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)

फोन नं. 01427-220054, E-mail: dausa.jaipur@yahoo.com

क्रमांक न.प.दौ./भूमि/90-ए/4347 दिनांक-15.06.2022

प्रारूप-13 नियम 13 (2) देखिए

सं-.......... **लोक सूचना** दिनांक-........

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा नंबर 15 रकबा 0.87 है0, खसरा नंबर 16 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 17 रकबा 0.89 है0, खसरा नंबर 18 रकबा 0.80 है0, खसरा नंबर 21 रकबा 0.96 है0, खसरा नंबर 31 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 32 रकबा 1.15 है0, खसरा नंबर 172/65 रकबा 1.15 हैक्टयर ग्राम डगलाव तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग में व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अतः उक्त भूमि हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के भीतर-भीतर कारण बताये कि क्यों न उक्त भूमि पर उसके अधिकारों और हित को पर्यवसित कर दिया जाये और इसलिए क्यों न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लंगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन 2022 (वर्ष) के जून (मास) के 15वें दिन को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, दौसा

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री प्रकाश चन्द जांगिड़ पुत्र स्वर्गीय कन्हैयालाल जांगिड़ उम्र 52 वर्ष, ग्राम मेहाडा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल निवासी प्लाट नं. 60, जगदीश विहार-ए, हीरापुरा गोनेर रोड, लूणियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर अपने पुत्रों हेमन्त पाल जांगिड, पंकज पाल जांगिड़ जो कहने सुनने में नहीं है इसलिए मैं इन दोनों को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करने की आम सूचना जरिये समाचार पत्र आमजन को सूचित करता है।
के.एल. मीणा, एडवोकेट, मो. 9414717695

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य विजय कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र सैनी निवासी शांति आश्रम ग्राम पोस्ट मऊ, तहसील-श्रीमाधोपुर जिला सीकर का है। मेरे अभिभाष्य ने राजकिशोर गोठवाल, राजेन्द्र कुमार गोठवाल, पुत्रान् स्व. श्री भंवर लाल गोठवाल एवं सुनीता गोठवाल पत्नी स्व. श्री सतीश कुमार गोठवाल इनकी दो पुत्रीयां हेमाली, नितिका गोठवाल एवं पुत्री शशीकला कुन्द्रा पत्नी श्री भूपेन्द्र कुमार कुन्द्रा निवासीयान प्लॉट नम्बर 144, नन्दपुरी हवा सड़क जयपुर से इनकी माताजी स्व. रामप्यारी देवी का जेडीए पट्टा स्वामित्व प्लॉट नम्बर बी-102 नन्दपुरी हवा सड़क, जयपुर जिनके उक्त वारिसान से क्रय करने का इकरारनामा किया है उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी पक्षकार, संस्था, कम्पनी व अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मियाद 7 दिवस में मुझसे सम्पर्क करें। अन्यथा बाद गुजरने के मियाद मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे। भवदीय

संजय कुमार राजोरिया (एडवोकेट) मो. 9314888698

दिनांक 15.06.2022
स्थान : जयपुर

कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर

क्र.- एफ-6( ) उपा.राज.-द्वि.(सा.प्र.)/ननिज/2022/1076

सार्वजनिक सूचना दिनांक-15.06.2022

मूल भूखण्ड संख्या 426 राजापार्क जयपुर का दी पंजाबी को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सो. लि. जयपुर द्वारा मिस गुरूदयाल कुमारी के नाम से क्षेत्रफल 492.50 वर्गगज भूमि का आवंटन किया गया था। नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा श्रीमती गुरूदयाल कौर पुत्री श्री हीरा सिंह के नाम से पट्टा जारी किया गया। गुरूदयाल कंवर एवं श्री विश्वजीत सिंह राठौड़ की मृत्यु उपरान्त श्रीमती दीप कंवर पुत्री स्व. श्री रणजीत सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या 426, राजापार्क, जयपुर में से अपना अविभाजित हिस्सा 1. श्री समर सिंह 2. श्री अनुपम सिंह पुत्रान स्व. श्री बी.एस. राठौड़ के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया। तत्पश्चात 1. श्रीमती गजेन्द कंवर पत्नी स्व. श्री बी. एस. राठौड़ 2. रानी राठौड़ 3. प्रियंका राठौड़ पुत्रियान स्व श्री बी.एस. राठौड़ द्वारा भूखण्ड संख्या 426, राजापार्क जयपुर में से अपने पति/ पिता के हिस्से में से अविभाजित अपना - अपना 1/3 हिस्सा 1. श्री समर सिंह, 2. अनुपम सिंह पुत्रान स्व. श्री बी.एस.राठौड़ के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग त्याग किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या 426, राजापार्क जयपुर में से अविभाजित अपना 1/3 हिस्सा 1. श्री समर सिंह 2. श्री अनुपम सिंह पुत्रान स्व. श्री बी.एस. राठौड़ के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया। श्री समर सिंह एवं श्री अनुपम सिंह के मध्य उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड बंटवारानामा हुआ जिसके अनुसार भूखण्ड संख्या 426 राजापार्क, जयपुर क्षेत्रफल 492.50 वर्गगज में से पूर्वी ओर का हिस्सा क्षेत्रफल 246.5 वर्गगज श्री समर सिंह के हिस्से में आयी एवं भूखण्ड संख्या 426 राजापार्क, जयपुर क्षेत्रफल 492.5 वर्गगज में से शेष पश्चिमी हिस्सा क्षेत्रफल 246.5 वर्गगज श्री अनुपम सिंह के हिस्से में आयी। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, रजिस्टर्ड बंटवारानामा (पैतृक सम्पत्ति), अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा 1.श्री समर सिंह 2. श्री अनुपम सिंह पुत्रान स्व. श्री बी.एस. राठौड़ के पक्ष क्षेत्रफल 492.50 वर्गगज का उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस उपविभाजन एवं नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व- द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार उपविभाजन एवं नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व- द्वितीय), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत- प्रथम, प्रताप नगर जयपुर

क्रमांक: 3697 **जाहिर आम सूचना** दिं.: 15.06.2022

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास / फ्लैट संख्या HIG-II/D-303 (HIG), (एरिया 61.11 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री राज कुमार आडवानी पुत्र स्व. श्री मूल चन्द आडवानी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3051 दिनांक 30.06.2011 को जारी किया गया। श्री राज कुमार आडवानी की मृत्यु दिनांक 26.04.2021 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती मीता आडवानी पत्नी स्व. श्री राज कुमार आडवानी द्वारा उक्त आवास / फ्लैट को स्वंय के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अत: उक्त आवास / फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति में नही हैं, श्रीमती मीता आडवानी पत्नी स्व. श्री राज कुमार आडवानी का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय

जे.एल.एन. मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853

जाहिर आम-सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या-3/MB/462 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर, क्षेत्रफल 128.000 वर्ग मीटर का आवंटन श्री सेवाराम विजय पुत्र श्री दुर्गा लाल विजय को किया गया था। जिसका आवंटन कम कब्जा पत्र कमांक 190 दिनांक 13/04/2006 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास का मुख्त्यारनामा आम श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया। मुख्त्यारनामा आम धारक के द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर-प्रथम में दिनांक 06/02/2007 को करवाया गया। तत्पश्चात् मुख्त्यारनामा आम धारक श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्रीमती सुमन तलरेजा पत्नी श्री राजकुमार तलरेजा व श्रीमती सविता माखिजा पत्नी श्री मूल चन्द माखिजा को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 06/02/2007 को करवाया गया। श्रीमती सुमन तलरेजा पत्नी श्री राजकुमार तलरेजा व श्रीमती सविता माखिजा पत्नी श्री मूल चन्द माखिजा के द्वारा संयुक्त रूप से मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती सुमन तलरेजा पत्नी श्री राजकुमार तलरेजा व श्रीमती सविता माखिजा पत्नी श्री मूल चन्द माखिजा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम Zakriya Alim से बदलकर Zakaria Alim पुत्र श्री अब्दुल अलीम निवासी 2579 मोहल्ला कमनीगरान, रामगंज जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे Zakaria Alim के नाम से जाना पहचाना जावें।

मैंने अपना नाम डॉ. महेश सिंह वर्मा से बदलकर डॉ. महेश वर्मा पुत्र स्व. श्री मिश्री लाल मीणा रख लिया है भविष्य में मुझे डॉ. महेश वर्मा के नाम से जाना जाए। पता-402, बनास अपार्टमेंट, ब्लॉक-4, सेक्टर-26, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।

बंधु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना-सचिवालय विहार के भूखण्ड संख्या 255 की मूल सोसायटी रशीद गुम हो गई है। सूचित करें- लक्ष्मी नारायण अग्रवाल-9314516303

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

IDFC FIRST Bank

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुननिर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	44628846	सम्पत्ति पर ऋण	1. जसविन्दर सिंह 2. नरिन्दर कौर	02.06.2022	25,49,229.70/-	फ्लैट नं. 303, क्षेत्रफल 1800 वर्ग फिट, तीसरी मंजिल, प्लाट नं. 422, गली नं. 02, राजा पार्क, जयपुर, राजस्थान 302017 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमाये है पूर्व-रोड, पश्चिम, प्लाट नं. 421, उत्तर-रोड, दक्षिण-प्लाट नं. 430
2	21039607 और 36407190	सम्पत्ति पर ऋण	1. महेन्द्र सिवाल 2. बाबूलाल सिवाल 3. राधा देवी	02.06.2022	27,62,980,00/-	रिहायशी प्लाट (पट्टा नं. 30 का दक्षिण भाग), क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज (167.22 वर्ग मीटर), कुल क्षेत्रफल 266 वर्गगज का भाग, ग्राम पंचायत, खोनागोरियान (घाटी करोलान), तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है-पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-खाली भूमि, उत्तर-इसी प्लाट का बाकी भाग दक्षिण-खाली भूमि
3	23345295	सम्पत्ति पर ऋण	1. सत्यनारायण कुमावत 2. मंजू देवी 3. संदीप कुमावत 4. सारिका कुमावत	04.06.2022	21,38,016.96/-	दुकान नं. 7, क्षेत्रफल 17.5 वर्गफिट x 24 वर्गफिट स्कीम/यूनिट नं. 6, जयपुर, राजस्थान-302013 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है पूर्व-दुकान नं. 6, पश्चिम-दुकान नं. 8, उत्तर-रोड 25' चौड़ी, दक्षिण-अन्य भूमि

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है। ह./-

दिनांक- 16.06.2022
स्थान- जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)